सेवा में /31- संरक्षक, निग

दूरभाष–0121–2664726
E-Mail cfmeerut@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ–250001)

पत्रांक 78 /14–1 दिनांक, मेरठ 06, जुलाई, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली–कानपुर मार्ग (एन0एच0–91) के कि0मी0 60 (चैनेज 59.130) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या 165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या FP/UP/Others/30840/2017.

संदर्भः– 1–उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक पी–103/81–2–2023–800(131)/2023, दिनांक 24.05.2023।

2–आपका पत्रांक 3739/11सी–FP/UP/Others/30840/2017, दिनांक 26.05.2023।

3–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर का पत्रांक 4622/14–1, दिनांक 30.06.2023।

महोदय,

उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक पी–103/81–2–2023–800(131)/2023, दिनांक 24.05.2023 के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभागीय निदेशक, बुलन्दशहर द्वारा श्री मुकेश सिरोही, प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना, श्री वीरेन्द्र कुमार, सैक्शन अधिकारी, सिकन्द्राबाद स्याना रेंज, श्री लोकेश कुमार, बीट प्रभारी, सिकन्द्राबाद स्याना रेंज के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया है तथा इस सम्बन्ध में श्री मुकेश सिरोही, श्री वीरेन्द्र कुमार एवं श्री लोकेश कुमार सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया था। श्री मुकेश सिरोही ने अपने स्पष्टीकरण के जबाव में अवगत कराया है कि पट्रोल पम्प का निर्माण वर्ष 2013 में कराया गया था। श्री मुकेश सिरोही वर्ष 2013 में स्याना रेंज के चार्ज में नहीं थे। इसी प्रकार श्री वीरेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि वे वर्ष 2013 में सिकन्द्राबाद सैक्शन के चार्ज में नहीं थे तथा श्री लोकेश कुमार ने अवगत कराया है कि वे भी वर्ष 2013 में सिकन्द्राबाद बीट में चार्ज में नहीं थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2013–14 में श्री मुमताज अली, क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना रेंज के चार्ज में थे, श्री यशपाल सिंह, सिकन्द्राबाद सैक्शन प्रभारी एवं सिकन्द्राबाद बीट प्रभारी के चार्ज में थे जो सेवानिवृत्त हो गये हैं।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर ने यह भी अवगत कराया है कि प्रकरण संज्ञान में आने पर श्री मुकेश सिरोही, प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना द्वारा दिनांक 16.08.2022 को एच–2 केस संख्या 12/22–23 (स्याना रेंज) जारी कराया गया है तथा प्रतिकर के रूप में रू0 70000/– ई–3 सं0 33 / 2633 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा वसूल किया गया है तथा उनके द्वारा वाहनों के आवागमन में बिछायी गयी टाइल्स को उखड़वा दिया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर से प्राप्त सूचना/अभिलेख संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 78 / , दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।